न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई जिला टोंक (राज.)

पीठासीन अधिकारी – रामकरण सिंह (आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 539/2025
निर्णय दिनांकः– 15.10.2025

1. प्रहलाद पुत्र कालू जाति जाट उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम केरोद तहसील निवाई जिला टोंक (राज.)
2. सूरज पुत्र कालू जाति जाट उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम केरोद तहसील निवाई जिला टोंक (राज)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार निवाई

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान टिनेन्सी संशोधित अधिनियम वास्ते कृषि जोत हेतु रास्ता उपलब्ध करवाने बाबत्।

उपस्थित :–

1. श्री कौशल किशोर जाट, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 860/2 रकबा 0.8979 हेक्टेयर तथा प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 860/1 रकबा 0.3920 हेक्टेयर वाके ग्राम केरोद तहसील निवाई जिला टोंक में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त कृषि आराजियात पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर आने जाने एवं कृषि प्रयोजन से हल–बैल–कूली, गाड़ी, ट्रेक्टर ट्रॉली व कृषि के काम में आने वाले अन्य सामान ले जाने के लिये प्रार्थीगण खसरा नंबर 859/1 से आते जाते हैं। प्रार्थीगण के आने जाने के लिये मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक एवं रिकॉर्डेड सुविधाजनक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण रास्ते के रूप में उक्त सिवायचक भूमि का उपयोग उपभोग करते हैं। प्रार्थीगण को काश्त जोत करने का कोई रास्ता वर्तमान में मौजूद नहीं है और न ही वैकल्पिक तौर पर कोई अन्य रास्ते की व्यवस्था है। अप्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 859/1 में से प्रार्थीगण को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपादित नियमों के तहत कृषि जोत हेतु रास्ता उपलब्ध करवाया जाना विधिसंगत व न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 860/2 रकबा 0.8979 हेक्टेयर तथा प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 860/1 रकबा 0.3920 हेक्टेयर वाके ग्राम केरोद तहसील निवाई जिला टोंक में आने जाने हेतु खसरा नंबर 859/1 में से तीन गठ्ठा चौड़ा रास्ता उपलब्ध करवाये जाने एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश तहसीलदार निवाई को फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार निवाई ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2025/16331 दिनांक 08.10.2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार खसरा नंबर 860/1 व 860/2 पर पहुंच हेतु खसरा नंबर 859/1 में से होकर निकटतम रास्ता है, किन्तु मौके पर किसी प्रकार का रास्ता नहीं गुजर रहा है। मौके पर पक्का निर्माण भी नहीं हो रखा है। खसरा नंबर 859/1 में से रास्ता उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव/कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर संलग्न प्रेषित है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात् में ग्राम केरोद तहसील निवाई के वादग्रस्त खसरा नंबरान की जमाबंदी, भू सुधार की नक्शा शीट प्रस्तुत की गई।

उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं विवेचन के आधार पर पाया कि प्रार्थीगण ग्राम केराद तहसील निवाई के वादग्रस्त आराजियात में रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा तहसीलदार निवाई द्वारा अपनी रिपोर्ट क्रमांक क्रमांक भू.अ./2025/16331 दिनांक 08.10.2025 में प्रार्थीगण को रास्ता दिए जाने की स्पष्ट अभिशंषा करते हुए रास्ता दिये जाने के कथन किए हैं एवं रास्ता प्रस्तावित किया है। प्रार्थीगण स्वयं की खातेदारी की आराजियात मे आने जाने हेतु रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी पाए जाते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता अनुसार ग्राम केरोद तहसील निवाई के खसरा नम्बर 859/1 में से 86 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा कुल रकबा 344 वर्गमीटर अर्थात् 0.0344 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी में पहुंचने तक का रास्ता रखे जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त लम्बाई व चौड़ाई अनुसार प्रभावित रकबे का वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी राशि के अनुसार तहसीलदार निवाई द्वारा गणना की जावे तथा प्रार्थीगण संबंधित खातेदारान के रास्ते की भूमि बावत् खातेदारान को राशि अदा करेंगे। उक्त रास्ते हेतु प्रभावित भूमि में से रास्ते की भूमि का नाप चौप कर पृथक से राजस्व अभिलेखों में सिवायचक आम रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा प्रभावित भूमि में से रास्ते के रकबे को कम करते हुए शेष रकबा संबंधित खातेदार/खातेदारान के हिस्से में यथावत रखा जावे। यथानुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। **यह आदेश प्रार्थीगण द्वारा भूमि के प्रभावित क्षेत्रफल के वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी राशि अनुसार भुगतान अदा किये जाने के पश्चात् लागू होंगे।** प्रार्थीगण द्वारा राशि राजकोष में जमा करने की रसीद पेश करने पर उक्तानुसार मौके पर रास्ते की भूमि का नाप–चौप कर राजस्व नक्शे में सिवायचक आम रास्ता तरमीम किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकरण सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी निवाई